निगरानी / टी.ए./ 2022/ 2003/ जिला श्रीगंगानगर
विचित्रसिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
21.1.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदन लाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री हेमराज गुप्ता, ब्रीफ होल्डर अभिभाषक प्रार्थी । श्री पुरूषोतम शर्मा, ब्रीफ होल्डर अभिभाषक अप्रार्थी श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक श्री अशोकनाथ योगी अभिभाषक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुतकर्ता श्री यज्ञदत्त शर्मा अभिभाषक **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 सपठित धारा 221 के अंतर्गत न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–3–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि पदमपुर तहसील के चक 1 एफएफबीए के मुरब्बा नंबर 27 के किला नंबर 16 ता 25 रकबा 10 बीघा भूमि वीरभान व बंशीलाल पुत्रगण संतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार पदमपुर ने विवादित भूमि के सम्बंध में धारा 61 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाहीं करते हुये आदेश दिनांक 27–6–01 से वादग्रस्त भूमि आराजी राज घोषित कर दी। जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर ने प्रार्थी की अपील आदेश दिनांक 26–3–2003 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। जैर निगरानी श्री चन्द्रशेखर गुप्ता ने जरिये अभिभाषक श्री अशोकनाथ योगी प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 9–8–05 व नगरपालिका गजसिंहपुर ने जरिये अभिभाषक श्री यज्ञदत्त शर्मा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 6–11–06 प्रस्तुत कर निगरानी में पक्षकार बनाने का निवेदन किया। आदेशिका दिनांक 14–2–08 द्वारा जरिये श्री गौशाला सेवा समिति गजसिंपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर पक्षकार बनाया गया है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 9–8–05 व 6–11–06 स्वीकार किया जाकर निगरानी में बतौर अप्रार्थी संयोजित किया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्ध है। धारा 60 में परित्याग को परिभाषित किया गया है जिसके तहत कोई खातेदार अपनी भूमि का लगान स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जमा करवाता है तो वह परित्याग नहीं है। वादग्रस्त भूमि का लगान प्रार्थीगण द्वारा लगातार जमा करवाया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि परित्याग भूमि नहीं है। धारा 61(2)(1) के अनुसार आज्ञात्मक प्रावधान है कि उदघोषणा 60 दिन हेतु जारी की जावे। तहसीलदार ने उद्घोषणा केवल सात दिन हेतु जारी की है। तहसीलदार ने नियमों की पालना नहीं की है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण 30–32 वर्षो से काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने कब्जे के आधार पर वाद अंतर्गत धारा 188, व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलेक्टर पदमपुर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। तहसीलदार ने गलत तरीके से विवादित आराजी को रकबा राज करने के आदेश दिये है। तहसीलदार पदमपुर का आदेश क्षेत्राधिकार विहिन व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है। जिसे न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर ने भी त्रुटिपूर्ण तरीके से बहाल रखा है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय निरस्त किया जावे। 4. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय समवर्ती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित आराजी वीरभान–बंशीलाल पिसरान संतराम कौम महाजन सा0नामालूम के नाम दर्ज रिकार्ड थी तथा मौके पर कब्जा प्रार्थीगण का पाया गया। वीरभान–बंशीलाल पिसरान संतराम कौम महाजन नाम का कोई व्यक्ति गांव में रहना नहीं पाया गया। प्रार्थीगण द्वारा वीरभान–बंशीलाल के देहांत के बाद उसके वारिस सुरेन्द्र कुमार द्वारा विवादित रकबा जरिये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	मुख्त्यारआमनामा देना बताया गया किंतु उक्त मुख्त्यारआमनामा या कोई साक्ष्य सबूत प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कोई अधिकार नहीं माना जा सकता। प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर अनाधिकृत कब्जा पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाहीं करते हुये तहसीलदार ने विवादित आराजी रकबा राज किया है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के सम्बंध में प्रस्तुत राजस्व वाद बाबत् आज की स्थिति की जानकारी अवगत नहीं कराई है। कब्जे के आधार पर किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा भी विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये तहसीलदार के निर्णय का समर्थन किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार निगरानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आलोच्य आदेश में ऐसी कोई विधि अथवा तथ्य सम्बन्धी तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। 7. परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (मदन लाल नेहरा) सदस्य	